

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2 गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700 001.

का.आ.सं. प्रशा.-I/एन.एफ.यू. /स.ल.प.अ./163

दिनांक: 09.12.2025

कार्यालय आदेश

मुख्यालय पत्र संख्या.04-स्टाफ (नियुक्ति)/पीसी सेल/02-2017 दिनांक 09 जुलाई 2018 एवं तत्संबंधी बाद की स्पष्टीकरण हेतु परिपत्र क्रमांक 1204-स्टाफ (अपॉइंट.)/404-2018 दिनांक 5 सितंबर, 2018 के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर 9 पर उनके सामने दिए गए तिथि से गैर-कार्यात्मक उन्नयन की अनुमति दी जाती है:

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	नियमित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण की तिथि	एन.एफ.यू. प्राप्त करने की योग्यता की तिथि	पदस्थापित कार्यालय
1.	श्री सौरव समंत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	11.10.2021	11.10.2025	प्र.महा. (ले.प-I), प.बं
2.	श्री शुभम कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	01.11.2021	01.11.2025	प्र.महा. (ले.प-II), प.बं
3.	श्री पुरुषोत्तम कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	12.10.2021	12.10.2025	प्र.महा. (ले.प-I), प.बं

एन.एफ.यू. प्रदान करना निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगा:

- एफ.आर.-22 (आई) (ए) (1) के तहत वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग एन.एफ.यू. के अनुदान की तिथि या अगली वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारित करने हेतु एक महीने के भीतर किया जा सकता है।
- एन.एफ.यू. को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) के तहत वित्तीय उन्नयन हेतु माना जाएगा। एम.ए.सी.पी. के तहत आगामी वित्तीय उन्नयन, यदि कोई हो तो, इसकी गणना एन.एफ.यू. के अनुदान की तिथि से की जाएगी।
- एन.एफ.यू. के अनुदान के बाद वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण, कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत स्वीकार्य वेतन और भत्ते की बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
- इस कार्यालय आदेश द्वारा विस्तारित एन.एफ.यू. के तहत वित्तीय उन्नयन के लाभ की समीक्षा मुख्यालय से स्पष्टीकरण/आदेश/अनुदेश प्राप्त होने के पश्चात की जा सकती है।

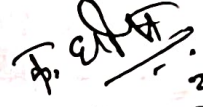
//प्राधिकार: प्र. महा का आदेश दिनांक 08.12.2025

फाइल Admn.I/NFU/AAO में मिसिलबद्ध/

उप महालेखाकार (प्रशा.)

प्रति प्रेषित:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल, कोलकाता 700001 के सचिव
2. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), पश्चिम बंगाल, कोलकाता-700064 के सचिव.
3. उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-I एवं प्रशा.)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी. -II)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी.-III)/उप महालेखाकार (ए.एम.जी. -IV) सचिवालय
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.2 / प्रशा.3 / प्रशा.4 / प्रशा.5 / ए.एम.जी.-I (मुख्यालय) / ए.एम.जी. -II (मुख्यालय) / ए.एम.जी.-III- (गैर स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग) / ए.एम.जी.-IV-मुख्यालय/ एफ.ए.डब्लू. / प्रतिवेदन / आई.टी.ए. / ई.सी.पी.ए. / डी.ए.एस.)
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (कल्याण)
6. संबंधित व्यक्ति
7. कार्यालयीन वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ई.डी.पी. अनुभाग
8. सूचना पट्ट


वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशा.1)